राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 73/06–07

विषयः– डॉ0 भूपेन्द्र कुमार मिश्रा, ग्राम+पोस्ट–शिवगंज, जिला–आरा का प्राप्त आवेदन–पत्र।

20.11.2006 आवेदक को दिनांक 07.12.2006 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में पूर्ण तथ्यों एवं कागजातों सहित सुनवाई हेतु बुलावें।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

07.12.2006 आवेदक श्री भूपेन्द्र कुमार मिश्रा का आवेदन देखा गया। इनके अनुरोध के अनुरूप दिनांक–04.01.2007 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में सुनवाई के लिए रखा जाय।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.01.2007 आवेदक उपस्थित थे। इनके आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर श्री अनिल कुमार, सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर (सिविल कोर्ट के पास) आरा से दिनांक 20.01.07 तक कंडिकावार मंतव्य की मांग की जाय एवं सुनवाई हेतु दिनांक 25.01.07 को प्रातः 10.30 बजे रखी जाय।

(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

25.01.2007 वादी उपस्थित हैं। सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर आयुक्त शाहाबाद अंचल, आरा (भोजपुर) सह लोक सूचना पदाधिकारी, आरा मंतव्य प्राप्त हैं। उन्होंने अपने मंतव्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (प्ट) एवं 8 (घ) एवं 8 (छ) के तहत सूचना लोक हित में नहीं मानते हुए, सूचना देने से इंकार किया है। वादी का कहना है कि उन्हें इस तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है। जहां तक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (ग) और (घ) के पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता हैं कि सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मंण्डल के विशेषाधिकार को भंग कारित होगा या 8 (छ) ऐसी सूचना जिसकी प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या विधि प्रदर्शन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में हो गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा। विशेषाधिकार के अधीन आता है। जहांतक वादी द्वारा मांगी गई सूचना का सवाल है वह एक आर्डर सीट का एक फोटो स्टेट कॉपी है और दूसरा प्रावधानों के उलंघन में दिए गये दण्ड अथवा जुर्माना के बारे में सूचना मांगी गई है। ये मांगी गई सूचना गोपनीय नहीं हो सकती। अतः आयोग यह निर्देश देता हैं कि यह सूचना वादी को अविलम्ब दे दें। अगली सुनवाई की तिथि 20.02.2007 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में रखी जाती है, जिस दिन तक आयोग का निर्देश का पालन उसकी कर एक प्रति आयोग को भी दी जाय।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

20.02.2007 आवेदक अनुपस्थित है । लोक सूचना पदाधिकारी, अपील–सह–सहायक वाणिज्य कर आयुक्त शाहाबाद अंचल आरा एवं सहायक लोक सूचना पदाधिकारी, आरा उपस्थित हैं । जहां तक वाद संख्या 77 का संबंध है, लोक सूचना पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के पीछले आदेश के तहत इन्होंने सूचना प्रदान कर दी हैं पर उन्होंने वाद का निपटारे के लिए एक अन्य तिथि निर्धारित करने के लिए प्रार्थना की है, जिससे सभी बातों को आयोग के समक्ष रखी जा सके । सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर, आरा, इस बात को स्पष्ट करें की किन–किन सूचनाओं को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है या वादी को क्यों नहीं सूचना दी जानी है । सहायक आयुक्त अपना मंतव्य 12.03.2007 तक आयोग के समक्ष दाखिल करें। सुनवाई की अगली तिथि 15.03.2007 को प्रातः 10.30 बजे निर्धारित की जाती है।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

15.03.2007 आवेदक उपस्थित हैं। लोक सूचना पदाधिकारी एवं अपीलीय–सह–वाणिज्यकर सहायक आयुक्त, शाहाबाद अंचल, आरा उपस्थित हैं। थर्ड पार्टी की तरफ से भी एक आवेदन दिया गया है कि वे भी एक आवश्यक पक्ष हैं और इस आवेदन के निष्पादन के पहले उनकी बात भी सुन ली जाय। उनका कहना है कि ठपींत थ्पदंदबम ।बजण् एवं अन्य अध्यादेशों के तहत आवेदक को सूचना नहीं दी जा सकती है। उन्हें भी इस आवेदन में संशोधन करते हुए एक पक्ष माना जाय। चूंकि वे उपस्थित हैं, अतः नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है। अतः अगली तारीख को तीनों पक्षों को सुनने के बाद वाद का निपटारा किया जायेगा। यह आदेश तीनों पक्षों के सामने पारित किया गया है। अतः अलग से नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई की अगली तिथि 12.04.2007 को प्रातः 10.30 बजे निर्धारित की जाती है।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

12.04.2007 आवेदक अनुपस्थित हैं।

लोक सूचना पदाधिकारी एवं अपीलीय–सह–वाणिज्यकर सहायक आयुक्त, शाहाबाद अंचल आरा भी अनुपस्थित हैं। आयोग समझती है कि दोनों पक्षों को सुनकर ही समुचित आदेश पारित करना समचीन होगा। अतः अगली सुनवाई की तिथि 08.05.2007 को प्रातः 10.30 बजे निश्चित की जाती है। दोनों पक्षों को सूचित करें।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त

08.05.2007 आवेदक उपस्थित हैं। केस संख्या 73 एवं 77 दोनों को एक साथ सुना। आवेदक का कहना है कि विभाग द्वारा मांगी गयी सूचना उन्हें मिल गयी है और वे संतुष्ट हैं। ऐसी परिस्थिति में वाद को समाप्त किया जाता है।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त